



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना हल्दौर

दिनांक-15.04.2025

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 64/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित दो अभियुक्तों को चोरी किए गए तार सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.03.2025 को वादी सतेन्द्र पंवार पुत्र सौदान सिंह निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम बल्दिया व मुकरन्दपुर जंगल से लगभग 98 पोलो से 9.913 किमी0 बिजली का तार चोरी कर लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 0064/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 1. सौरभ पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2. राजन उर्फ राजा पुत्र नरेश निवासी मौ0 खत्रियान राम लीला ग्राउंड थाना को0 शहर बिजनौर को नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही -

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों 1. सौरभ पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2. राजन उर्फ राजा पुत्र नरेश निवासी मौ0 खत्रियान राम लीला ग्राउंड थाना को0 शहर बिजनौर को जिला कारागार बिजनौर से पीसीआर पर लेकर मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये 43.1 कि0ग्रा0 तार को ग्राम मुकरन्दपुर के जंगल से बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. सौरभ पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. राजन उर्फ राजा पुत्र नरेश निवासी मौ0 खत्रियान राम लीला ग्राउंड थाना को0 शहर बिजनौर

बरामदगी -

43.1 कि0ग्रा0 तार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 207 सुनील कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 21 मुकेश चन्द थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
4. का0 1983 दुष्यन्त कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह

दिनांक – 15.04.2025

“अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह” के क्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा स्कूली छात्र/छात्राओं को अग्नि सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।

अग्निशमन सेवा सप्ताह के अन्तर्गत आज दिनांक 15.04.2025 को नगर बिजनौर सहित सभी तहसीलों के स्कूलों में छात्र/छात्राओं के मध्य अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया जिसका विषय था **“Unite to Ignite, a fire safe India” “एकजुट हों, अग्नि सुरक्षित भारत को प्रज्वलित करें।”**

तहसील बिजनौर में मैरीटा पब्लिक स्कूल बैराज रोड बिजनौर, मार्डन एरा पब्लिक स्कूल मण्डावर रोड बिजनौर, एस0डी0 इन्टरनेशनल स्कूल मण्डावर रोड बिजनौर, सैन्ट मैरी पब्लिक स्कूल नजीबाबाद रोड बिजनौर, डी0डी0पी0एस0 पब्लिक स्कूल बैराज रोड बिजनौर, वी0एस0डी0 पब्लिक स्कूल नजीबाबाद रोड बिजनौर में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।

तहसील धामपुर में रामगोपाल रामचन्द्र सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज धामपुर, सारंग कान्वेंट पब्लिक स्कूल नगीना रोड धामपुर, के0एम0 इन्टर कॉलेज धामपुर में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।

तहसील चोंदपुर में वैदिक कन्या इंटर कॉलेज चोंदपुर, हिन्दू इन्टर कॉलेज चोंदपुर, रहमिया इन्टर कॉलेज चोंदपुर में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।

तहसील नगीना में एल0आर0एस0 इंटर कॉलेज बिजनौर रोड नगीना, जनता इंटर कॉलेज कोतवाली देहात नगीना, सैट मैरी स्कूल धामपुर रोड नगीना, हिन्दू इंटर कॉलेज गांधी मूर्ति नगीना में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।

तहसील नजीबाबाद में इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल नजीबाबाद, मूलचन्द सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल कोटद्वार रोड नजीबाबाद, ग्रीन लाईट सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल नजीबाबाद में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 15.04.2025

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 351/2024 धारा 304(1)/317(2)/304(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को छीने गए मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया व 02 बाल अपचारियों को पुलिस निगरानी में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.09.2024 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि कि दिनांक 31.08.2024 को शाम के समय मोटर साईकिल सवार 03 अज्ञात युवक वादिया का मोबाइल फोन (एप्पल कम्पनी) छीन कर भाग गए। तहरीर के आधार थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 351/2024 धारा 304(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त मुकुल पुत्र स्व0 नाथे निवासी ग्राम शादीपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर व 02 बाल अपचारियों का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही:-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मुकुल पुत्र स्व0 नाथे निवासी ग्राम शादीपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व 02 साथी बाल अपचारियों को पुलिस निगरानी में लिया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर छीना गया एक मोबाइल फोन (आई फोन कम्पनी) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर रजि0न0 UP20AD6468 बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/304(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुकुल पुत्र स्व0 नाथे निवासी ग्राम शादीपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

पुलिस निगरानी में लिये गये बाल अपचारी –

02 बाल अपचारी

बरामदगी –

एक मोबाइल फोन (आई फोन कम्पनी) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर नं0 UP20 AD6468

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- थाना प्रभारी विरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2- उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 3- हे0का0 364 लालू सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 4- हे0का0 447 गौतम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 5- हे0का0 443 कपिल कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 6- का0 1177 पुनीत त्यागी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 15.04.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 211/2025 धारा 352/351(3)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.04.2025 को वादी श्री रामपाल पुत्र शिवचरन निवासी मौ0 चामुण्डा थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 13.04.2025 को वादी का पुत्र जीते व नितिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर एक बैंकट हॉल में खाना बनाने का काम कर रहे थे कि बर्तन उठाने को लेकर अभियुक्त नितिन ने वादी के पुत्र जीते के साथ गाली गलौच करते हुए सब्जी काटने के चाकू से गर्दन व हाथ पर वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 211/2025 धारा 352/351(3)/109(1) बीएनएस बनाम नितिन उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 15.04.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नितिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने वाले चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नितिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री शादाब खान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0 कां0 389 राहुल कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2123 अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 15.04.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 203/25 धारा 69/319(2)/351(3) बीएनएस, 3(2)(va) एससी / एसटी एक्ट व 66 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.04.2025 को वादिया ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि मोनू उर्फ नावेद ने झूठ बोलकर शादी का झांसा देकर वादिया का शारीरिक व मानसिक शोषण किया तथा अभियुक्त मोनू उर्फ नावेद की माँ इमराना व पिता नदीम ने वादिया के परिवार को जान से मारने की धमकी दी व अभियुक्त मोनू उर्फ नावेद द्वारा वादिया के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया व वादिया की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर ली गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 203/25 धारा 69/351(3)/319(2) बीएनएस 3(2)(va) एससी / एसटी एक्ट व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 15.04.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोनू उर्फ नावेद पुत्र नदीम अहमद निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोनू उर्फ नावेद पुत्र नदीम अहमद निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2295 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 15.04.2025

थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 43/2025 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.03.2025 को वादिया द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त साहिल पुत्र नाजिम निवासी ग्राम शाहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर वादिया की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया ।

इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 43/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । दिनांक 14.04.2025 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साहिल पुत्र नाजिम निवासी ग्राम शाहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त साहिल उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0-521/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0-248/2024 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्र0नि0 मृदुल कुमार सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 सिनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 3.हे0का0 159 उमेश कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 4.का0 2282 दानिश अली थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 5.का0 165 पंकज कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर